30-3-24

वकील वादिनी अनुपस्थित। वादिनी स्वयं भी अनुपस्थित। कई बार आवाजें लगाई गई परन्तु न तो वादिनी स्वयं उप० आई एवं न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। दोपहर की तीन बज चुकी है। कई बार पुनः आवाजें लगाई गई परन्तु उप० नहीं आये अतः वाद वादिनी इसी स्तर पर अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम हो। पत्रावली तरतीब बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो।

[signature]